



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०(टैक्नी०)/०२/२०२१-२२/८९३ दिनांक २० अक्टूबर, २०२३
उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के टेक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन पद पर चयन हेतु सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०(टैक्नी०)/०२/२०२१-२२/४६५, दिनांक १३ अगस्त, २०२१ के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में समूह 'ग' के अन्तर्गत टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त ३०६ पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापित के अनुक्रम में बोर्ड के पत्र संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०(टैक्नी०)/०२/२०२१-२२/६१७ दिनांक ११ जुलाई २०२३ द्वारा टेक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत ओ०टी०टेक्नीशियन, सी०एस०एस०डी० टेक्नीशियन, रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन, ई०सी०जी० टेक्नीशियन, ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन, डेण्टल टेक्नीशियन, फिजीथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थिरैपिस्ट, रिफ्रेक्शनिष्ट तथा रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको का विवरण तथा अभिलेख सत्यापन हेतु कट-ऑफ अंक सूची जारी की गई थी।

लिखित परीक्षा में पदवार कट-ऑफ अंक या उससे अधिक अंक धारित अभ्यर्थियों को पदवार अभिलेख सत्यापन हेतु क्रमशः ०५, ०६ तथा ०८ सितम्बर २०२३ को आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किये गये अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पद हेतु वांछित अर्हता धारित नहीं की गई है और वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण उन्हें अनर्ह घोषित किया गया है। अनर्ह अभ्यर्थियों के सापेक्ष पदों की उपलब्धता के आधार पर प्रवीणत सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक १० अक्टूबर २०२३ को अभिलेख सत्यापन हेतु बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची पत्र संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०(टैक्नी०)/०२/२०२१-२२/८९१ दिनांक २० अक्टूबर २०२३ द्वारा प्रसारित की गई है।

कट-ऑफ अंक धारित अनर्ह अभ्यर्थियों के सापेक्ष रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन की प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों को **दिनांक २५ अक्टूबर २०२३ को प्रातः १०.०० बजे** बोर्ड कार्यालय में अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है—

क्र०सं०	पदकोड	पदनाम	अनुक्रमांक
१	१०४	रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन	४१३३२२१०१८, ४१३३२२१०१९

नोटः

- अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची पृथक से जारी की जायेगी।
- रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन पद हेतु निर्धारित किये गये अभिलेख सत्यापन दिवस में यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय को पूर्व में बिना कोई सूचना दिये एवं बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित होता है तो उसे अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा एवं पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किये गये तथ्यों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दिन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को **मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित अभिलेखों की ०२ स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ** निम्न अनुक्रम में प्रस्तुत करेंगे:-

- औपबन्धिक प्रवेश पत्र ०१ प्रति (अनिवार्य)
- टेक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत संबंधित पद हेतु किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की ०२ स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य) (यदि किसी अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र नहीं हैं, तो वह अभिलेख सत्यापन दिवस में आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं)

3. 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। (अनिवार्य)
4. हाईस्कूल अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
5. हाईस्कूल प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
6. इण्टरमिडिएट अंक पत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
7. इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
8. Degree/Diploma प्रत्येक वर्ष के अंकपत्र/अंकतालिका– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
9. Diploma/Degree प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
10. उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
11. राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र अथवा प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा का प्रमाण पत्र (यदि उल्लेख किया हो)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
12. स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि उल्लेख किया हो) – 02 स्वप्रमाणित प्रति
13. अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/पत्नी आर्मी/पैरामिलिट्री/केन्द्र अथवा राजकीय विभाग में, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य से स्थानान्तरण नहीं हो सकती हैं, कार्यरत हैं सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि उल्लेख किया हो)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
14. आरक्षण का लाभ पाने वाली अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति, जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। (यदि उल्लेख किया हो)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
15. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति। (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
16. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” की 02 स्वप्रमाणित प्रति। (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
17. यदि अभ्यर्थी का उपनाम (Surname/Last Name) विवाह के पश्चात् परिवर्तन किया गया है और उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो, इस सम्बन्ध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा रु0 10.00 के नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
18. अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की 02 स्वप्रमाणित प्रति। (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)

अभ्यर्थी उक्त अभिलेखों को इसी क्रम में अलग-अलग दो सैट में सत्यापन पटल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सत्यापन पटल के समक्ष उपरोक्तानुसार इंगित मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के दो अलग-अलग सैट क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल पर प्रस्तुत किये गये कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की छायाप्रति करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। अभिलेख सत्यापन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन स्थल पर बच्चे/बुजुर्ग/परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है।

ह0/–

(गरिमा रौकली)

सचिव,

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।